



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सम्पूर्ण माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2014 के डॉस लिस्ट, अंक पत्रक, आदि के वितरण एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में अतिआवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 55/2014

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय/महाविद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि:-

- 1) माध्यमिक सम्पूर्णक/इंटर सम्पूर्णक परीक्षा, 2014 का फॉस लिस्ट, अंक पत्रक, औपबन्धिक प्रमाण पत्र एवं प्रवजन प्रमाण पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 10.09.2014 से 11.09.2014 तक वितरित किया जाएगा, जिसे विद्यालय प्रधान, स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।
 - 2) सत्र 2013-15 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन संबंधी सभी विद्यालय को उपलब्ध कराये चेकलिस्ट के आधार पर पंजीयन में त्रुटि संशोधन कर दिया गया है। एक और त्रुटि संशोधन का अवसर प्रदान करते हुए पंजीयन संबंधी सभी डाटा On-line किया जा रहा है। छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक तथा विद्यालय प्रधान परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in में उपलब्ध Registration window के माध्यम से अपने पंजीयन से संबंधित विवरणी का अवलोकन करने के पश्चात् यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अपने विद्यालय से तत्क्षण सम्पर्क कर वांछित संशोधन करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत छात्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in पर उपलब्ध **Secondary Examination Registration 2015- "Check your details"** पर क्लिक करेंगे, जिसके उपरान्त पंजीयन में Correction संबंधी एक Window खुलेगा। छात्र **Student Login** के अन्तर्गत छात्र अपने जिला कोड, विद्यालय का नाम, जन्मतिथि एवं नाम enter कर अपना पंजीयन विवरणी देख सकते हैं। अगर वे अपने पंजीयन विवरणी में त्रुटि के कारण कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो कॉलम संख्या 15(a) एवं (b) में आवश्यकतानुसार चुनाव कर form को Submit करेंगे तथा पंजीयन विवरणी का प्रिंट निकाल कर संशोधन हेतु विद्यालय प्रधान को हस्तगत करायेंगे। विद्यालय प्रधान उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से **Institution Login** करेंगे, जिसके लिए उन्हें पूर्व में विद्यालय कोड एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। Login के उपरान्त विद्यालय प्रधान विवरणी में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के उपरान्त विद्यालय प्रधान किए गए संशोधन की एक प्रति परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यालय द्वारा Student login के कॉलम संख्या 15 (a) तथा (b) में Yes/No के चुनाव किये बगैर संशोधन नहीं किया जा सकता है।
 - * संबंधित विद्यालय के छात्रों के पंजीयन में On-line आवश्यक संशोधन हेतु सभी विद्यालयों के प्रधानों के नाम Password संबंधी पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जा रहा है। Password संबंधी पत्र दिनांक 10.09.2014 तक विद्यालय प्रधान प्राप्त कर सकते हैं। परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in में उपलब्ध Registration window के माध्यम से अपने विद्यालय कोड एवं उपलब्ध कराये गये Password के द्वारा Log-in करने के पश्चात् अपने विद्यालय से संबंधित पंजीयन में वांछित संशोधन On-line दिनांक 10.09.2014 से 23.09.2014 तक कर सकते हैं।
 - * दिनांक 24.09.2014 से उक्त संशोधन की प्रक्रिया समाप्त कर दी जायेगी। किए गए संशोधन की एक प्रति परिषद् कार्यालय को दिनांक 26.09.2014 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- इसे अति आवश्यक समझा जाए।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(मोहन चाँद मुक्तिम)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter/17147/12/SECY/464/14.

Dt. 08.09.2014

D.O.P : 09.09.2014